कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 338/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 15.09.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 15.09.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

01.थाना जहानागंज:किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का पूर्व का विवरण-

दिनांक 18/07/2025 को वादिनी मुकदमा जहानागंज आजमगढ़ ने थाना जहानागंज पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 17.7.2025 को शाम 5 बजे वादिनी की पुत्री घर से बिना बताये कही चली गयी है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 239/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 15/09/25 को उ0नि0 सुल्तान सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से वाँछित अभियुक्त अरविन्द कुमार पुत्र गुल्जारी लाल निवासी रानीपुर धरवारार थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को उसके घर ग्राम धरवारा से समय 9.35 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग—

1-मु0अ0स0 239/25 अन्तर्गत धारा 64,137(2) bns व ¾ पोक्सो एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अरविन्द कुमार पुत्र गुल्जारी लाल निवासी रानीपुर धरवारार थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 सुल्तान सिंह, हे0का0 गोविन्द सिंह व का0 श्री प्रकाश सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़

02.थाना- बरदहः चोरी की घटना का अनावरण, घर से चोरी गये आभूषण के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक- 09.06.25 को वादी मुकदमा केदारनाथ प्रजापति पुत्र स्व छांगुर ग्राम जिवली थाना बरदह जिला आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि मेरे घर दिनांक -08/09.06.2025 की रात मे घर के अन्दर पीछे शौचालय से चढकर मकान के अन्दर अज्ञात चोरो नें मेंरे आलमारी से सोने की चेन चेन, मंगलसुत्र, दो झुमका ,एक-एक तोला का अंगुठी एक झालर टब, दो मीना और एक लाख रुपया नगद चोरी हो गया है, मैने पास पड़ोस के लोगो को बुलाया तो पता चला की प्रमोद गौंड पुत्र इन्द्रजीत निवासी ग्राम जिवली थाना बरदह आजमगढ़ का बैंग में रखा दस हजार नगद दो जोड़े पायल, दो मीना, अज्ञात चोरो ने चोरी कर लिया। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 164/25 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 15.09.25 को उ0नि0 संजय कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त मोनू पुत्र जयगुन निवासी ग्राम गोडहरा थाना बरदह आजमगढ़ को चोरी के एक अदद अंगूठी पीली धातु, एक जोडी पायल सफेद धातु तथा तीन अदद मीना सफेद धातु का पुराना को जिवली मोड पर मन्दिर के पास मोटसाइकिल के साथ समय सुबह करीब 04.35 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

पूछताछ का विवरण- चोरी के गहने व मोटरसाइकिल के बारे में पूछताछ की गयी तो गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 09.06.2025 को रात में मैने तथा हमारे गांव के आशुतोष पुत्र जसवन्त व गोपाल पुत्र रामनेत चौहान ग्राम जिवली थाना बरदह ,आजमगढ मिलकर ग्राम जिवली के दो घरो में से चुराये थे तथा आपस में बांट लिये थे तथा यह मोटरसाइकिल दिनांक 27.02.2025 को भंडारी रेलवे स्टेशन जौनपुर से चुराये थे। बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए 1.मोनू पुत्र जयगुन 2 .आशुतोष पुत्र जसवन्त निवासीगण ग्राम गोडहरा ,थाना बरदह आजमगढ 3.गोपाल चौहान पुत्र रामनेत चौहान ग्राम जिवली थाना बरदह , जनपद आजमगढ को बतौर अभियुक्त प्रकाश में लाया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1- मोनू पुत्र जयगुन निवासी ग्राम गोडहरा थाना बरदह आजमगढ़।

बरामदगी का विवरणः-

1- एक अदद अंगूठी पीली धातु, एक जोडी पायल सफेद धातु तथा तीन अदद मीना सफेद धातु

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 164/25 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 संजय कुमार थाना बरदह जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 रविन्द्र कुमार भारती थाना बरदह जनपद आजमगढ़
3.आरक्षी पवन कुमार भारती थाना बरदह जनपद आजमगढ़
4. आरक्षी ललित कुमार सरोज थाना बरदह जनपद आजमगढ़

03.थाना- जीयनपुर: लोको पायलट के साथ मारपीट कर घायल करने व इलाज के दौरान हुई मृत्यु में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, पूर्व में 05 अभियुक्त हो चुके है गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 08.09.2025 को आवेदक अजीत कुमार पुत्र श्री इन्दल राम निवासी नौशहरा कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 07.09.2025 को शाम लगभग 5.48 बजे मेरा भाई दुर्गेश ने अपने मो0- से बताया कि ज्ञानेन्द्र मिश्रा पुत्र मारकण्डेय मिश्रा तथा गणेश यादव व उनके लड़के ने मुझे मारपीट कर मेरे खेत के पास छोड़कर चले गये है। मुझसे चला नही जा रहा है , मुझे आकर ले चलिए मै व मेरी चाची पुष्पा देवी तुरन्त पहुचे। मै इलाज के लिए अमीना तिब्बिया हास्पीटल जीयनपुर गये जहाँ डाक्टर ने जिला अस्पताल ले जाने के लिए कहा , मै अपने भाई दुर्गेश कुमार को अपने परिवार के साथ नीजी वाहन से आजमगढ़ के लिए चला तो मेरे भाई दुर्गेश कुमार ने रास्ते मे बताया कि मुझे गणेश यादव पुत्र अज्ञात, अजय यादव पुत्र गणेश यादव , श्रवण यादव पुत्र विश्वनाथ यादव, शेरू यादव पुत्र अज्ञात, गोविन्द्र यादव पुत्र अज्ञात, निवासीगण बाजार खास जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ मुझे मारे पीटे है जिससे मुझे चोट आ गई है। जब मै अपने भाई को अस्पताल लेकर पहुचे तो सदर अस्पताल के डाक्टर ने मेरे भाई को देखकर मृत घोषित कर दिये। दिनांक 25.8.25 को उपरोक्त लोगो द्वारा लगभग 11.00 बजे दिन मे मेरे घर आकर मेरे भाई दुर्गेश को जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में, प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 357/2025 3(5)/105BNS व 3(2)5 SC/ST ACT बनाम 1.गणेश यादव पुत्र अज्ञात निवासीगण बाजार खास कस्बा जीयनपुर जनपद आजमगढ़ आदि 05 नफर पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल कुमार वर्मा द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम मे धारा 105BNS व 3(2)5 SC/ST ACT का धारा 108 BNS व 3(1)द/3(1)ध/3(2)5 एससी/एसटी एक्ट मे संशोधन हुआ।

➡दिनांक- 10.09.2025 को अभियुक्त 1.गणेश यादव पुत्र स्व0 रामलखन यादव निवासी बाजार खास कस्बा जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2.अजय यादव पुत्र गणेश यादव निवासी बाजार खास कस्बा जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 3.शेरू यादव पुत्र सूरज यादव निवासी बाजार खास कस्बा जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 4.गोविन्द यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी बाजार खास कस्बा जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 5. ज्ञानेन्द्र मिश्रा पुत्र मारकण्डेय मिश्रा निवासी बाजार खास कस्बा जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर जेल भेज जा चुका है। शेष एक अभियुक्त श्रवन यादव पुत्र विश्वनाथ यादव ग्राम बाजार खास जीयनपुर थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष फरार चला रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 15.09.2025 को थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त श्रवन यादव पुत्र विश्वनाथ यादव ग्राम बाजार खास जीयनपुर थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ को उसके घर से नियमानुसार समय करीब 09.55 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- श्रवन यादव पुत्र विश्वनाथ यादव ग्राम बाजार खास जीयनपुर थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 357/2025 धारा 3(5)/105 BNS व 3(2)5 SC/ST ACT संशोधित धारा 3(5)/115(2)/352/351(3)/108 BNS व 3(1)द/3(1)ध/3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 168/17 धारा 323/504/506/325 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 294/25 धारा 115(2), 3(5), 351(3), 352 बीएनएस थाना जीयनपुर आजमगढ़

3. मु0अ0स0 357/2025 3(5)/105 BNS व धारा 3(2)5 SC/ST ACT संशोधित धारा 3(5)/115(2)/352/351(3)/108 BNS व 3(1)द/3(1)ध/3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष जितेन्द बहादुर सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 राजेश कुमार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 अमरजीत यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. का0 निलेश प्रताप सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5. का0 हरिकिशन मौर्या थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

04.थाना- कोतवाली: किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना/इतिहास –

वादी मुकदमा में थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 14.09.2025 की रात्रि में एक बाल अपचारी द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर मंदिर के पीछे ले जाकर छेड़खानी की गयी, उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 463/25 धारा 74 BNS व 7/8/11/12 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस अभिरक्षा का विवरण–

दिनांक- 15.09.2025 को उ0नि0 मेहरे आलम मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित एक बाल अपचारी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को उसके घर से नियमानुसार बाल कल्याण अधिकारी की उपस्थिति में समय 11.10 बजे पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया।, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।